कार्यालय प्राचार्य, रानी रश्मिदेवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़

क्रमांक 267 / अतिथि व्याख्याता /2017 खैरागढ़ दिनांक 01-09-17

// सूचना – अतिथि व्याख्याता //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, पत्र क्रमांक 533/671/आउशि/अतिथि व्याख्याता 2017 रायपुर दिनांक 01–07–2017, के निर्देशानुसार रानी रश्मिदेवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ में निम्नलिखित विषयों में अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क.	विषय	पदों की संख्या
1	हिन्दी	01

नियम व शर्तें निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त कार्य हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक आवश्यक है।
2. अतिथि व्याख्याता का चयन आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2014 रायपुर, दिनांक 18.07.2014 में दिये गये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
3. उक्त कार्य हेतु मानदेय प्रति व्याख्यान 200/– रूपये, जो अधिकतम प्रतिदिन 800/– रूपये एवं प्रतिमाह 20800/– रूपये के सीलिंग के अधीन होगा।
4. अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन बायोडॉटा एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति सहित दिनांक 08–09–2017 तक इस कार्यालय में जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य
रानी रश्मिदेवी सिंह
शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़

पृ. क्रमांक 268 /अतिथि व्याख्याता/2017 खैरागढ़ दिनांक 01-09-17

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ
2. प्राचार्य शासकीय दिग्विजय अग्रणी महाविद्यालय राजनांदगांव
3. सूचना पटल महाविद्यालय/नगर पालिका परिषद् खैरागढ़/जनपद पंचायत खैरागढ़/अनुविभागीय कार्यालय खैरागढ़/तहसील कार्यालय खैरागढ़
4. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय,

.... जिला, राजनांदगांव

को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।

प्राचार्य
रानी रश्मिदेवी सिंह
शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़

o/c